इसे वेबसाईट mpmsme.gov.in
से भी डाउनलोड किया जा सकता है

मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 23 /10/2019

क्रमांक एफ 5-21/2019/अ-तेहत्तर : राज्य शासन एतद् द्वारा संलग्न परिशिष्ट-एक अनुसार "मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2019" तथा संलग्न परिशिष्ट-दो अनुसार "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2019 जारी की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(पर्वत सिंह)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

पृ. क्रमांक एफ 5-21/2019/अ-तेहत्तर, भोपाल, दिनांक 23 / 10 / 2019

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, समन्वय मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ...(समस्त विभाग)
4. उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश भोपाल।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल।
7. संभागायुक्त..(समस्त)।
8. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल।

9. नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर "मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2019" तथा "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2019" की हिन्दी की हस्ताक्षरित प्रति सहित संलग्न कर निवेदन है कि कृपया आगामी राजपत्र में प्रकाशित करवाकर उसकी 25 प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।

10. कलेक्टर................................(समस्त)।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

परिशिष्ट - दो

मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2019

MSME
GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2019

1. **प्रस्तावना :-**

राज्य शासन द्वारा म. प्र. एमएसएमई विकास नीति, 2019 दिनांक 01.10.2019 से लागू की गई है। उक्त नीति में सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यमों को सहायता हेतु किए गए प्रावधानों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से राज्य शासन "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" लागू करता है।

2. **योजना के प्रभावशील होने की अवधि एवं कार्यक्षेत्र :-**

2.1 यह योजना दिनांक 01.10.2019 से प्रभावशील होगी और शासन द्वारा संशोधित या अधिक्रमित किये जाने तक सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रभावी रहेगी।

2.2 30.09.2019 के बाद वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र होगी अर्थात इस योजना के लागू होने के पश्चात नवीन विनिर्माण इकाईयों के लिये म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017 की सुविधाओं/सहायताओं का विकल्प समाप्त होगा।

2.3 01.10.2019 से पहले उत्पादन प्रारंभ करने वाली विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई, म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017 या इससे पहले की नीतियों, जैसी भी स्थिति हो, के तहत सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र होगी।

2.4 इस योजना अंतर्गत म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019 की प्रभावशील अवधि में अपशिष्ट उपचार संयंत्र/सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र

स्थापित करने, गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने, पेंटेंट प्राप्त करने और ऊर्जा लेखा परीक्षा के लिये किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति 01.10.2019 से पहले उत्पादन प्रारंभ करने वाली विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई को भी प्राप्त होगी।

2.5 इस योजना अंतर्गत "म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019" की प्रभावशील अवधि में, पॉवरलूम का उन्नयन करने पर वाली पॉवरलूम इकाई को भी पॉवरलूम उन्नयन हेतु सहायता प्रदान की जाएगी।

2.6 सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र हेतु सहायता औद्योगिक इकाईयों के समूह को और निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर या निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर को सुदृढ़ बनाने के लिए अधोसंरचना विकास हेतु सहायता विकासकर्ता को प्रदान की जाएगी।

2.7 पूर्व/प्रचलित नीति(यों) अंतर्गत विनिर्माण एमएसएमई को एमएसएमई विभाग द्वारा सुविधा/सहायता का लाभ प्राप्त करने हेतु गठित विभिन्न समितियों को समाप्त करते हुए, पूर्व की नीति(यों) अंतर्गत प्राप्त/स्वीकृत प्रकरणों का निराकरण "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2019" में निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जाएगा।

3. परिभाषायें :-

3.1 **नीति** से सामान्य अभिप्रेत है, "म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019"।

3.2 **योजना** से सामान्य अभिप्रेत है, "म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019"।

3.3 **एमएसएमई** से अभिप्रेत है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (समय-समय पर किये गये संशोधनों सहित) के तहत परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम।

3.4 **इकाई/औद्योगिक इकाई** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश में विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई।

3.5 **संयंत्र और मशीनरी में निवेश** से अभिप्रेत है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (समय-समय पर किये गये संशोधनों सहित) के अनुसार संयंत्र और मशीनरी में निवेश।

3.6 **भवन में निवेश** से अभिप्रेत है, उत्पादन में उपयोग में आने वाली फेक्टरी भवन व शेड, लेकिन इसमें आवासीय इकाइयाँ शामिल नहीं होंगी।

3.7 **स्थायी पूंजी निवेश** से अभिप्रेत है, भूमि, भवन, संयंत्र व मशीनरी और अन्य स्थिर अस्तिओं में किया गया कुल निवेश।

3.8 **नई औद्योगिक इकाई** से अभिप्रेत है, नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान स्थापित विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई।

3.9 **विद्यमान औद्योगिक इकाई** से अभिप्रेत है, ऐसी औद्योगिक इकाई, जिसमें दिनांक 01.10.2019 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ हो या ऐसी नई औद्योगिक इकाई जिसके द्वारा नीति की प्रभावशील अवधि में विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन किया गया हो।

3.10 **वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक** से अभिप्रेत है, इकाई द्वारा उत्पादन प्रारंभ कर उत्पादित माल के प्रथम बार विक्रय की दिनांक अर्थात प्रथम विक्रय के देयक की दिनांक।

3.11 पूर्व में किये गये संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश से अभिप्रेत, विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा, जिस वर्ष में विस्तार/डायवर्सीफिकेशन/तकनीकी उन्नयन के लिए नवीन पूंजी निवेश करना प्रारम्भ किया गया हो, उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि की स्थिति में किया गया संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश अथवा विद्यमान औद्योगिक इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि की स्थिति में किया गया संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश, जो भी अधिक हो, से होगा।

3.12 पूर्व स्थापित क्षमता से अभिप्रेत, विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा, जिस वर्ष में विस्तार/डायवर्सीफिकेशन के लिए नवीन पूंजी निवेश करना प्रारम्भ किया

गया हो, उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षो के वार्षिक उत्पादन का औसत या विद्यमान औद्योगिक इकाई की वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक के समय स्थापित क्षमता, इसमें से जो भी अधिक हो, से है।

3.13 **जीएसटी** से अभिप्रेत, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में परिभाषित 'राज्य कर' से है।

3.14 **गुणवत्ता प्रमाणीकरण** से अभिप्रेत है, गुणवत्ता प्रमाणीकरण हेतु तीसरे पक्ष की अधिकृत एजेंसियों द्वारा प्रदाय आईएसओ/बीआयएस/बीईई प्रमाणपत्र या जेड प्रमाणन या निर्यात के लिये प्रमाणन।

3.15 **पेटेंट** से अभिप्रेत है, पेटेंट अधिनियम, 1970 (समय-समय पर किये गये संशोधनों सहित) में परिभाषित और या अंतर्निहित पेटेंट।

3.16 **महिला/अजा/अजजा** उद्यमी(यों) द्वारा संचालित इकाई से अभिप्रेत है, महिला/अजा/अजजा वर्ग के व्यक्ति(यों) के शत प्रतिशत स्वामित्व वाली इकाई।

3.17 **एमएसएमई संचालनालय** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीन संचालनालय।

3.18 **राज्य सरकार/शासन** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग।

3.19 **उद्योग आयुक्त** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीन उद्योग संचालनालय, म. प्र. के आयुक्त।

3.20 **जिला व्यापार और उद्योग केंद्र** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीन एमएसएमई संचालनालय का जिला स्तरीय कार्यालय।

3.21 **महाप्रबंधक** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक।

3.22 **जिला स्तरीय सहायता समिति** से अभिप्रेत निम्नानुसार गठित समिति से है:-

i.	कलेक्टर	अध्यक्ष
ii.	अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM)	सदस्य
iii.	महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्य सचिव

टीप :- समिति की बैठक का कोरम न्यूनतम 2 सदस्यों से पूर्ण होगा।

4. विविध :-

4.1 इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन/रियायत संबंधी वित्तीय सहायता केवल औद्योगिक इकाई के लिए उपलब्ध होगी। इस योजना की बिंदु 11 एवं 12 में दी गई सहायता ऐजेन्सी/संस्था/निवेशक को तथा बिंदु 14 में दी गई सहायता पॉवरलूम इकाई को उपलब्ध होगी।

4.2 औद्योगिक इकाई को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 अंतर्गत उद्योग आधार ज्ञापन (UAM) फाइल करना और 'मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017' (जीएसटी अधिनियम) अंतर्गत पंजीयन कराना सहायता/सुविधा प्राप्त करने के लिये आवश्यक होगा। साथ ही जीएसटी अंतर्गत पंजीकृत इकाई को अपने बिजनेस वर्टीकल (जीएसटी अधिनियम अंतर्गत परिभाषित) के लिये इस योजना अंतर्गत सुविधा प्राप्त करने हेतु पृथक से जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन कराना होगा। किसी कंपनी/फर्म या संस्था का जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन होने पर भी उसकी इकाई को इस योजना अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु पृथक से जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन कराना आवश्यक होगा। परंतु किसी पॉवरलूम इकाई को जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन हेतु छूट की पात्रता है, तो वह इस योजना के अंतर्गत बिंदु 14 में उल्लेखित पॉवरलूम उन्नयन के लिये सहायता प्राप्त करने हेतु उस छूट का लाभ ले सकेंगी।

4.3 किसी भी मामले में, इकाई को रियायतों की कुल राशि इकाई द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश से अधिक नहीं होगी।

4.4 यदि राज्य शासन की ऐसी एक से अधिक नीतियाँ हैं, जिनके अंतर्गत इकाई प्रोत्साहन/रियायतें प्राप्त कर सकती है, तो इकाई द्वारा किसी अन्य नीति अंतर्गत प्रोत्साहन/रियायतें लेने/आवेदन करने पर इस योजना अंतर्गत सहायता हेतु अपात्र होगी।

4.5 कोई इकाई, जिसने स्वरोजगार योजनाओं के तहत प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त किया हो, वह म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत प्रोत्साहन/सहायता का लाभ लेने के लिये पात्र नहीं होगी।

4.6 हालाँकि, यदि एक इकाई इस योजना के तहत अपनी पात्रता के अतिरिक्त भारत सरकार से वित्तीय सहायता का लाभ लेना चाहे तो, वह इस शर्त के अधीन ऐसा कर सकती है कि उसे प्राप्त होने वाला कुल अनुदान उसके द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश से अधिक न हो।

4.7 स्थापित सूक्ष्म स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन हेतु यंत्र एवं संयंत्र में 10 लाख रूपयें या अधिक का निवेश करने पर, उसे नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/सुविधाओं की पात्रता होगी।

4.8 स्थापित लघु स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन हेतु यंत्र एवं संयंत्र में 25 लाख रूपयें या अधिक का निवेश करने पर, उसे नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/सुविधाओं की पात्रता होगी।

4.9 स्थापित मध्यम स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन हेतु यंत्र एवं संयंत्र में 100 लाख रूपयें या अधिक का निवेश करने पर, उसे नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/सुविधाओं की पात्रता होगी।

4.10 यदि विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन के फलस्वरूप किसी इकाई का यंत्र-संयंत्र में कुल निवेश 15 करोड़ रूपये से अधिक हो जाता है, तो वह इकाई इस नीति के अंतर्गत सहायता/सुविधाओं के लिये पात्र नहीं होगी।

4.11 विस्तार/डायवर्सिफिकेशन के प्रकरणों में उपरोक्त सुविधा इकाईयों को पूर्व स्थापित क्षमता में कमी नहीं होने की शर्त के साथ प्राप्त होगी।

4.12 विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन अंतर्गत पात्रता का निर्धारण इकाई द्वारा उसकी विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन अंतर्गत उत्पादन दिनांक से पिछले तीन वर्ष में, परंतु विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन के पूर्व की वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक के पश्चात, संयंत्र और मशीनरी में किए गए नवीन निवेश से किया जाएगा।

4.13 इस योजना में उल्लेखित आवेदन की समय-सीमा में जिला स्तरीय सहायता समिति समुचित कारणों से आवेदन प्रस्तुत करने में किये गये विलम्ब को शिथिल कर सकेगी।

4.14 इकाई/ऐजेन्सी/संस्था/निवेशक द्वारा सहायता राशि हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक को इकाई/पॉवरलूम इकाई/निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/एमएसएमई क्लस्टर में निर्मित औद्योगिक संरचना/अपशिष्ट उपचार संयंत्र/ सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र को उत्पादनरत/कार्यरत/स्थापित रहना अनिवार्य होगा एवं इकाई/निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के वणिाज्यिक उत्पादन/प्रारंभ/ स्थापित होने की दिनांक से चार वर्षों तक या सुविधा अवधि में, जो भी बाद में हो, उत्पादनरत/कार्यरत/स्थापित रखा जाना अनिवार्य होगा। इस अवधि में इकाई/निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के 6 माह से अधिक अवधि तक बंद होने की स्थिति में इकाई/निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर को दी गई संपूर्ण सहायता राशि भू-राजस्व की बकाया की तरह इकाई/निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक

परिसर के स्वामी/संस्था से 12 प्रतिशत दाण्डिक ब्याज सहित वसूल की जावेगी।

4.15 इकाई/निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/ एमएसएमई क्लस्टर में निर्मित औद्योगिक अधोसंरचना/अपशिष्ट उपचार संयंत्र/ सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र को जिस पूंजी निवेश के आधार पर सहायता स्वीकृत की जायेगी, उसको वाणिज्यिक उत्पादन/प्रारंभ होने की दिनांक से चार वर्षों तक अच्छी स्थिति में रखना अनिवार्य होगा और इकाई की उत्पादन क्षमता बनाए रखनी होगी। इकाई/निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर द्वारा उसके किसी भाग में परिवर्तन तथा किये गये पूंजी निवेश में कमी नहीं की जाएगी। सहायता प्राप्त इकाई/निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/ एमएसएमई क्लस्टर में निर्मित औद्योगिक अधोसंरचना/ अपशिष्ट उपचार संयंत्र/ सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र द्वारा उसके स्वामित्व में परिवर्तन, उसके वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने/स्थापना की दिनांक से चार वर्षो तक, उद्योग आयुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, नहीं किया जाएगा। यदि अनुमति प्राप्त करने पर ऐसा परिवर्तन किया जाता है, तो मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 के अंतर्गत पूर्व स्थापित इकाई/निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/एमएसएमई क्लस्टर में निर्मित औद्योगिक अधोसंरचना/अपशिष्ट उपचार संयंत्र/ सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के समस्त दायित्व एवं अधिकार नवीन/परिवर्तित इकाई/निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/ एमएसएमई क्लस्टर में निर्मित औद्योगिक अधोसंरचना/ अपशिष्ट उपचार संयंत्र/ सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के नए स्वामी पर लागू होंगे।

4.16 म.प्र. शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जारी म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019 के परिशिष्ट - I में शामिल उद्योग इस योजना अंतर्गत सुविधा/सहायता हेतु अपात्र होंगे।(**परिशिष्ट-1**)

4.17 नगर निगम की अधिसूचित सीमा में केवल राज्य शासन अथवा उसके उपक्रम द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु आवंटित की गई शासकीय भूमि और

मास्टर प्लान में उद्योगों हेतु आरक्षित भूमि में स्थापित इकाईयों को ही योजनांतर्गत अनुदान की पात्रता होगी।

4.18 म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2019 के तहत लाभ लेने वाली इकाईयों को अपने कुल रोजगार का न्यूनतम 70% मध्य प्रदेश के स्थाई निवासियों को प्रदान करना अनिवार्य होगा और उक्त 70% रोजगार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को राज्य शासन द्वारा घोषित आरक्षण अनुसार प्रतिनिधित्व भी दिया जाना अनिवार्य होगा।

5. जिला स्तरीय सहायता समिति का दायित्व

5.1 जिला स्तरीय सहायता समिति का यह दायित्व होगा कि वह सूक्ष्म, लघु और मध्यम विनिर्माण उ़द्यम का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के उपरान्त उद्यम से आवेदन प्राप्त होने से म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2019 के अंतर्गत प्रावधानित प्रोत्साहन की स्वीकृति तथा वितरण सुनिश्चित करे।

5.2 योजना अंतर्गत सभी सहायताओं की प्रथम बार स्वीकृति जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा जारी की जायेगी। उसके बाद मिलने वाली वार्षिक/छः:माही किश्तें पात्रतानुसार स्वमेव, बिना पुनः समिति में गए, मिलेंगी।

5.3 वेतन अनुदान हेतु रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली इकाई को प्रत्येक छः:माही (जिस हेतु सहायता चाही गई है) के पश्चात इकाई में कार्यरत नियमित कर्मचारी, जो म. प्र. के स्थाई निवासी है, को दिये गये वेतन की राशि एवं ऐसे कर्मचारियों की संख्या (माहवार, नामवार सूची एवं प्रदत्त वेतन एवं नियमित कर्मचारी संबंधी प्रामाणिक दस्तावेज के संलग्न सहित) संबंधी जानकारी सहायता प्राप्त करने हेतु संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को उपलब्ध कराना अनिवार्य होंगा।

5.4 समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार होगी।

5.5 मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2019 अंतर्गत सहायता हेतु आवेदन निर्धारित समयावधि में इकाई/संस्था के स्वामी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वांछित अनुलग्नक आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त **परिशिष्ट-13** में शपथ पत्र (निर्धारित शुल्क के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित) भी आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। साथ ही उपलब्ध कराये गये कुल रोजगार का न्यूनतम 70 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को दिये जाने संबंधी दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति भी आवेदन के संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसमें अजा, अजजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की जानकारी भी सम्मिलित होगी।

5.6 महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा आवश्यकतानुसार विभागीय अधिकारियों से इकाई का निरीक्षण तथा दी गई जानकारी का यथासंभव सत्यापन कराया जायेगा। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र समुचित परीक्षण उपरान्त अपना प्रतिवेदन जिला स्तरीय सहायता समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगा। इस प्रतिवेदन में अन्य सभी सुसंगत बातों के अलावा निम्न बातों, जहॉ लागू हो, का समावेश आवश्यक होगा :-

(i) इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक तक संयंत्र एवं मशीनरी और भवन पर किया गया निवेश।

(ii) वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक एवं उत्पादनरत रहने का प्रमाण।

(iii) महिला/अजा/अजजा उद्यमी के स्वामित्व की इकाई होने का प्रमाणन।

(iv) निर्यात की स्थिति में कुल विक्रय एवं किया गया निर्यात।

(v) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली/सार्वजनिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना में किया गया निवेश।

(vi) औद्योगिक परिसर तक अधोसंरचना विकास पर व्यय।

(vii) गुणवत्ता प्रमाणीकरण/जेड प्रमाणन/निर्यात के लिये प्रमाणन/ पेटेंट प्राप्त करने में इकाई द्वारा किया गया व्यय।

(viii) पॉवरलूम इकाई द्वारा पॉवरलूम को उन्नयन करने के लिए किया गया व्यय, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता (यदि कोई हो, तो) एवं कुल परिवर्तित पॉवरलूमों की संख्या।

(ix) निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना के प्रकरण में अधोसंरचना व्यय व कार्यरत इकाईयों की जानकारी।

(x) निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर में औद्योगिक अधोसंरचना के विकास में किया गया व्यय।

(xi) ऊर्जा लेखा परीक्षा में हुआ व्यय और ऑडिट में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी को अपनाने में हुआ व्यय।

(xii) फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना में किया गया व्यय।

(xiii) रेडिमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली इकाईयों से वेतन अनुदान हेतु प्रदत्त रोजगार एवं वेतन की जानकारी।

(xiv) औद्योगिक इकाई द्वारा लिये गये विद्युत कनेक्शन की जानकारी।

(xv) औद्योगिक इकाई में प्रदत्त कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई निवासियों को प्रदत्त रोजगार और उसमें अजा, अजजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की जानकारी।

5.7 समुचित विचारोपरान्त जिला स्तरीय सहायता समिति को यह अधिकार होगा कि वह म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2019 अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय सहायता स्वीकृति आदेश जारी करे। समिति की स्वीकृति प्राप्त होने पर आदेश समिति के सदस्य सचिव द्वारा स्वीकृत सहायता(सहायताएं) एवं जहां लागू हो, प्रतिवर्ष दी जाने वाली सहायता राशि का विवरण/मापदण्ड का उल्लेख करते हुये जारी किया जायेगा।

5.8 समिति के ध्यान में ऐसा कोई तकनीकी बिंदु आए, जिसके कारण उसे अपने निर्णय को संशोधित करना पड़े, तो वह स्वतः संज्ञान लेकर अपने निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकेगी, किन्तु इस प्रकार लिये गये निर्णय की सूचना 30 दिवस के अन्दर संबंधित इकाई तथा उद्योग आयुक्त, मध्य प्रदेश को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

5.9 समिति द्वारा पूर्व की नीति(यों) अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

6. उद्योग विकास अनुदान

6.1 नई औद्योगिक इकाई को संयंत्र एवं मशीनरी और भवन में किये गये पात्र निवेश का 40% उद्योग विकास अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह अनुदान 4 समान वार्षिक किश्तों में वितरित किया जाएगा।

6.2 रियायत की गणना के प्रयोजन के लिए भवन की लागत, संयंत्र और मशीनरी की लागत के 100% तक सीमित होगी। परंतु फार्मास्यूटिकल इकाईयों हेतु रियायत की गणना के प्रयोजन के लिए भवन की लागत, संयंत्र और मशीनरी की लागत के 200% तक सीमित होगी।

6.3 महिला/अजा/अजजा उद्यमी(यों) द्वारा स्थापित इकाई के लिये प्रति वर्ष 2% (चार वर्षों हेतु) **या** अजा/अजजा श्रेणी की महिला उद्यमी(यों) द्वारा स्थापित इकाई के लिये प्रति वर्ष 2.5% (चार वर्षों हेतु) का अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान; और

6.4 औद्योगिक इकाईयों को कुल वार्षिक विक्रय का 25% से अधिक एवं अधिकतम 50% तक निर्यात करने के लिए 2% अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा (चार वर्षों हेतु);

या

औद्योगिक इकाईयों को कुल वार्षिक विक्रय का 50% से अधिक निर्यात करने के लिए 3% अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा (चार वर्षों हेतु)

6.5 उद्योग विकास अनुदान की प्रथम किश्त जिला स्तरीय सहायता समिति की स्वीकृति पश्चात देय होगी और द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ किश्त की देयता इकाई की वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक के क्रमशः एक, दो व तीन वर्ष के पश्चात होगी। महिलाओं/अजा/अजजा उद्यमियों द्वारा स्थापित इकाई को अतिरिक्त अनुदान की द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ किश्त प्राप्ति हेतु इकाई के स्वामित्व सबंधी नवीनतम दस्तावेज महाप्रबंधक को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

6.6 निर्यातक इकाई को जिस वर्ष हेतु अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान की सहायता चाहिए, उस वर्ष की समाप्ति दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के अंदर निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट-14**) में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। प्रथम बार अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात शेष वर्षो हेतु महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इसे इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर वितरित करने के लिए सक्षम होगें। परंतु प्रत्येक बार इकाई को सहायता हेतु निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट-14**) में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। निर्यात की पुष्टि जीएसटी पोर्टल में अपलोड/से प्राप्त जानकारी, निर्यात संबंधी शिपिंग बिल, बॉण्ड, लेटर ऑफ अण्डरटेकिंग आदि के आधार पर की जाएगी।

6.7 वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के अंदर इकाई को उद्योग विकास अनुदान हेतु निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट-2**) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (**परिशिष्ट-13**) संबंधित जिला व्यापार एवं

उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :-

(i) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन (UAM) जमा करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति की छायाप्रति

(ii) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति

(iii) संयंत्र एवं मशीनरी और भवन में किये गये पात्र निवेश के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन।

(iv) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण

(v) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उचित अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों) की छायाप्रतियां

(vi) वित्तीय संस्था का ऋण स्वीकृति एवं वितरण संबंधी पत्र (यदि इकाई स्थापना हेतु ऋण लिया गया हो) की छायाप्रति

(vii) भारत सरकार की किसी योजना में सहायता हेतु आवेदन दिया हो/ प्राप्त की गई हो, की जानकारी, जहां लागू हो

(viii) महिलाओं/अजा/अजजा उद्यमियों द्वारा स्थापित इकाई के प्रकरण में स्वामित्व के प्रमाणीकरण का दस्तावेज

7. गुणवत्ता प्रमाणन हेतु सहायता

7.1 सूक्ष्म स्तर की इकाई द्वारा नीति' की प्रभावशील अवधि में, आईएसओ/बीआयएस/बीईई प्रमाण पत्र के लिये प्रमाणीकरण हेतु किए गए

व्यय का 100%, अधिकतम 5 लाख रूपये की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी।

7.2 उक्त बिंदु 7.1 में उल्लेखित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत इकाई एक से अधिक गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकेगी, किन्तु प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा, प्रत्येक इकाई के लिए रू. 5 लाख तक ही होगी।

7.3 जेड (ZED) प्रमाणन, एमएसएमई की ब्रांड पहचान में सुधार लाने और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों को क्रमशः 80%, 60% और 50% की दर से सहायता प्रदान करती है। राज्य शासन द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों के लिए कुल लागत का क्रमशः 10%, 20% व 25% की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

7.4 नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान केवल निर्यात के लिए गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 25 लाख रूपये की प्रतिपूर्ति की जाएगी, यदि ऐसा प्रमाणन राज्य की विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई को यूएसए/यूरोपियन यूनियन/OECD के अन्य सदस्य देशों में निर्यात करने हेतु पात्र बनाए। यह सहायता वास्तविक रूप से यूएसए/यूरोपियन यूनियन/OECD के अन्य सदस्य देशों में निर्यात प्रारंभ करने पर ही प्राप्त होगी।

7.5 उक्त बिंदु 7.4 में उल्लेखित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत इकाई निर्यात के लिए एक से अधिक गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकेगी, किन्तु प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा, प्रत्येक इकाई के लिए रू. 25 लाख तक ही होगी।

7.6 नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान फार्मास्यूटिकल इकाई द्वारा निर्यात के लिये तैयारी हेतु डब्ल्यूएचओ जीएमपी या यू.एस.-एफ.डी.ए. प्रमाण पत्र प्राप्त

करने के लिये सुविधाओं का सृजन करने में किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 50 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

7.7 उक्त बिंदु 7.6 में उल्लेखित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत फार्मास्यूटिकल इकाई द्वारा निर्यात के लिए एक से अधिक गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकेगी, किन्तु प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा, प्रत्येक इकाई के लिए रू. 50 लाख तक ही होगी।

7.8 इस सहायता हेतु इकाई को गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्ति दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के अंदर निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट-3**) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (**परिशिष्ट-13**) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज, जहाँ लागू हो, संलग्न करना आवश्यक होगा :-

(i) आईएसओ/बीआयएस/बीईई प्रमाणीकरण की अभिप्रमाणित प्रति।

(ii) उन दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति जो आईएसओ/बीआयएस/बीईई प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय को प्रमाणित करते हो।

(iii) जेड प्रमाणीकरण की अभिप्रमाणित प्रति।

(iv) जेड प्रमाणीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा मान्य व्यय एवं प्रदत्त सहायता संबंधी दस्तावेजों की छायाप्रति।

(v) निर्यात हेतु प्राप्त किये गये गुणवत्ता प्रमाणन की अभिप्रमाणित प्रति।

(vi) उन दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति जो निर्यात हेतु गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय को प्रमाणित करते हो।

(vii) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन (UAM) जमा करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति की छायाप्रति।

(viii) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति।

(ix) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण

(x) भारत सरकार से समान स्वरूप की योजनान्तर्गत प्राप्त सहायता/किये गये आवेदन (यदि कोई हों तो) की जानकारी।

8. पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति

8.1 औद्योगिक इकाई को नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान घरेलू पेटेंट/आईपीआर पंजीकरण कराने हेतु किये गये व्यय की 100%, अधिकतम 5 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी।

8.2 औद्योगिक इकाई को नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट/आईपीआर पंजीकरण कराने हेतु किये गये व्यय की 100%, अधिकतम 10 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी।

8.3 उक्त बिंदुओं 8.1 व 8.2 में उल्लेखित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत इकाई एक से अधिक पेटेंट/आईपीआर पंजीकरण कराने हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकेगी, किन्तु प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा, प्रत्येक इकाई के लिए घरेलू पेटेंट/आईपीआर हेतु रू. 5 लाख एवं अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट/आईपीआर हेतु रू. 10 लाख तक ही होगी।

8.4 विकसित किये गये उत्पाद/प्रक्रिया, जिसका पेटेंट कराया गया है, का वाणिज्यिक उत्पादन/प्रक्रिया का उपयोग इकाई द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

8.5 सहायता प्राप्त करने हेतु इकाई का मुख्यालय मध्यप्रदेश में होना आवश्यक होगा।

8.6 योजनांतर्गत प्रतिपूर्ति पेटेंट पंजीयन/बौद्धिक सम्पदा अधिकार(आईपीआर) प्राप्ति हेतु किये गये वास्तविक व्यय पर की जावेगी, जिसमें निम्न व्यय मान्य किये जाएंगे -

(i) पेटेंट कराने हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र के साथ जमा की गई निर्धारित शुल्क की राशि।

(ii) पेटेंट कराए गए उत्पाद के अनुसंधान एवं शोध हेतु स्थापित संयंत्र एवं साज सज्जा पर व्यय राशि।

(iii) पेटेंट प्रक्रिया अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ की ली गई सलाह/सेवा के लिए भुगतान किये गये व्यय की राशि।

8.7 इस सहायता हेतु इकाई को पेटेण्ट प्राप्ति दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के अंदर निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट-3**) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (**परिशिष्ट-13**) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा:-

(i) पेटेंट/आईपीआर पंजीयन प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।

(ii) उन दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति जो पेटेंट/आईपीआर प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय को प्रमाणित करते हों।

(iii) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन (UAM) जमा करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति की छायाप्रति।

(iv) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति।

(v) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण

(vi) भारत सरकार से समान स्वरूप की योजनान्तर्गत प्राप्त सहायता/किये गये आवेदन (यदि कोई हों तो) की जानकारी।

9. औद्योगिक परिसर तक अधोसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता :-

9.1 यदि निवेशक लघु और मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यम की स्थापना हेतु निजी भूमि क्रय करता है या अविकसित शासकीय भूमि प्राप्त करता है, तो ऐसी इकाइयों को इकाई परिसर तक पानी, सड़क और बिजली के अधोसंरचना विकास में किये गये व्यय का 50% वित्तीय सहायता, अधिकतम रुपये 25 लाख, राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाएगी। यह सहायता नीति की प्रभावशील अवधि के अंतर्गत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाइयों को ही प्राप्त होगी।

9.2 अधोसंरचना विकास के पूर्व उद्योग आयुक्त की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन से तीस दिवस के भीतर निर्णय न होने पर डीम्ड अनुमति मान्य की जाएगी और तदानुसार निवेशक द्वारा उद्योग आयुक्त को सूचित किया जाएगा।

9.3 जिस अधोसंरचना के विकास के व्यय हेतु प्रतिपूर्ति चाही गई है, उसका विकास उद्योग आयुक्त की अनुमति/डीम्ड अनुमति के पश्चात हुआ हो एवं इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन के दिनांक के पश्चात् का नहीं हो।

9.4 इस सुविधा का लाभ उद्योग परिसर तक अधोसंरचना विकसित करने में किये गये वास्तविक व्यय पर किया जावेगा, जिसमें निम्नलिखित व्यय सम्मिलित किये जायेंगे :-

(i) मुख्य मार्ग से उद्योग परिसर तक सड़क निर्माण में हुआ व्यय।

(ii) पॉवर स्टेशन/विद्युत केन्द्र से उद्योग परिसर तक विद्युतीकरण में हुआ व्यय।

(iii) जल स्त्रोत/मुख्य पाइप लाईन से उद्योग परिसर तक जल लाने हेतु पाइप लाइन बिछाने में हुआ व्यय।

उक्त कार्यो पर हुए व्यय का सत्यापन चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन के आधार पर किया जावेगा।

9.5 वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के अंदर इकाई को अधोसंरचना व्यय में दिये जाने वाले अनुदान हेतु निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट-2**) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (**परिशिष्ट-13**) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :-

(i) उद्योग परिसर तक अधोसंरचना विकसित करने में हुए व्यय के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन।

(ii) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन जमा करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति की छायाप्रति

(iii) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति

(iv) उद्योग आयुक्त द्वारा प्रदत्त अनुमति की छायाप्रति या डीम्ड अनुमति संबंधी सूचना पत्र।

(v) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण

10. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना हेतु सहायता

10.1 नई औद्योगिक इकाई को नीति की प्रभावशील अवधि में, अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ETP) की स्थापना में निवेश के लिए 50 प्रतिशत पूंजी अनुदान अधिकतम 25 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा।

10.2 औद्योगिक इकाईयों के समूह (कम से कम 5) द्वारा सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र (CETP) की स्थापना के लिये किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 100 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।

10.3 इकाई/समूह द्वारा इस सहायता हेतु अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना के 90 दिवस के भीतर निम्न दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट-4**) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (**परिशिष्ट-13**) में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जाएगा :-

(i) अपशिष्ट उपचार संयंत्र/सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना में हुए व्यय के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन। (मदवार व्यय सत्यापन सहित)।

(ii) अपशिष्ट उपचार संयंत्र/सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के परिप्रेक्ष्य में प्रदूषण नियंत्रण मण्डल/ औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय का प्रमाण-पत्र।

(iii) अपशिष्ट उपचार संयंत्र/सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के उपयोग को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों की छायाप्रति।

(iv) सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के प्रकरण में समूह गठन संबंधी दस्तावेज/एग्रीमेंट।

(v) इकाई/इकाईयों द्वारा एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन जमा करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति(यों) की छायाप्रति(यां)

(vi) इकाई/इकाईयों द्वारा जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति(यां)

(vii) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण

11. निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास हेतु सहायता

11.1 नीति की प्रभावशील अवधि में, निजी औद्योगिक क्षेत्रों/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास हेतु उद्योग आयुक्त के अनुमति प्राप्त करने वाली संस्था/ऐजेन्सी/निवेशक को स्थापना/विकास में व्यय हुई राशि का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 250 लाख, सहायता के रूप में निजी क्षेत्रों को उपलब्ध कराया जाएगा, बशर्ते इस प्रकार विकसित औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल कम से कम 5 एकड़ हो या बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का कारपेट क्षेत्र कम से कम 10000 वर्ग फीट हो और विकसित औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर में न्यूनतम पांच औद्योगिक इकाईयां कार्यरत हों।

11.2 पॉवरलूम, फार्मास्यूटिकल और परिधान क्षेत्र की इकाईयों के लिये समर्पित निजी औद्योगिक क्षेत्रों/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास में व्यय हुई राशि का 60 प्रतिशत अधिकतम रू. 500 लाख, सहायता के रूप में निजी क्षेत्रों को उपलब्ध कराया जाएगा।

11.3 संस्था/ऐजेन्सी/निवेशक द्वारा औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास की अनुमति प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट-5**) में आवेदन सहपत्रों सहित उद्योग संचालनालय, म. प्र. में प्रस्तुत किया जायेगा। उद्योग आयुक्त के अनुमोदन उपरांत निम्नलिखित शर्तों के अधीन औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास हेतु अनुमति जारी की जाएगी:-

11.3.1 औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास अनुमति दिनांक से तीन वर्ष के भीतर होना चाहिए।

11.3.2 निर्धारित अवधि में औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास न होने की दशा में उद्योग आयुक्त, म.प्र. द्वारा संबंधित संस्था/ऐजेन्सी/निवेशक को 60 दिवसीय सूचना पत्र जारी किया जाएगा। समाधानकारक उत्तर प्राप्त होने पर औद्योगिक

क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास हेतु छः माह का अतिरिक्त समय उद्योग आयुक्त, म.प्र. द्वारा प्रदान किया जाएगा।

11.3.3 अतिरिक्त समय में भी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास न होने की दशा में या 60 दिवसीय सूचना पत्र का समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास हेतु जारी अनुमति निरस्त की जाएगी। उक्त निरस्तीकरण के विरूद्ध अपील तीन माह के अंदर प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, एमएसएमई विभाग को प्रस्तुत की जा सकेगी।

11.3.4 प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, एमएसएमई विभाग अपील पर विचार कर गुण दोष के आधार पर अधिकतम छः माह का अतिरिक्त समय प्रदान कर सकेंगे।

11.3.5 औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर स्थापना/विकास हेतु अतिरिक्त समय को मिलाकर कुल समय, संस्था/ऐजेन्सी/निवेशक को औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर स्थापना/विकास हेतु जारी अनुमति की दिनांक से चार वर्ष की अवधि तक सीमित होगा।

11.4 औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना हेतु, सक्षम स्तर से स्वीकृत अवधि या औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के पूर्ण होने का दिनांक जो भी पहले हो, तक स्थापना/विकास में व्यय की गई राशि सहायता हेतु गणना में ली जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के पूर्ण होने से आशय अधोसंरचना पूर्ण

होने के बाद न्यूनतम 5 औद्योगिक इकाइयों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिये जाने से है।

11.5 औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के पूर्ण होने के दिनांक के 90 दिवस के भीतर संस्था/ऐजेन्सी/निवेशक द्वारा सहायता स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट-6**) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (**परिशिष्ट-13**) निम्नलिखित सहपत्रों के साथ संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जाएगा :-

(i) विकसित औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर में स्थापित किन्हीं पांच औद्योगिक इकाइयों के नाम मय स्थापना को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज सहित।

(ii) विकसित औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के क्षेत्रफल को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज।

(iii) औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर विकसित करने में हुए व्यय (बिंदु 11.4 में दी गई अवधि में) के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन।

(iv) औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर विकसित करने हेतु प्राप्त आवश्यक अनुमतियों/दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां।

(v) औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की छायाप्रति।

12. निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर को सुदृढ़ बनाने हेतु सहायता

12.1 निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर को सुदृढ़ बनाने के लिए अधोसंरचना विकास करने वाली एजेन्सी को किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 50 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।

12.2 जिस निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर को सुदृढ़ करने हेतु चयन किया गया है, वह किसी निजी कंपनी/संस्था/निवेशक का न होकर स्वाभाविक रूप से स्थापित होना चाहिए अर्थात उसमें अलग-अलग स्वामित्व की भूमि पर कम से कम 10 इकाईयां कार्यरत होनी चाहिये।

12.3 एमएसएमई के क्लस्टर में जिस अधोसंरचना का विकास किया जाना है, उसकी अनुशंसा उस क्षेत्र के औद्योगिक संघ द्वारा उस एमएसएमई क्लस्टर की कम से कम पांच इकाईयों की सहमति से की जाएगी और औद्योगिक संघ की ओर से ही अधोसंरचना विकास हेतु एजेन्सी का चयन किया जाएगा।

12.4 विकासकर्ता एजेन्सी द्वारा अधोसंरचना विकास का विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिस पर संबंधित औद्योगिक संघ की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

12.5 ऐजेन्सी द्वारा निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर को सुदृढ़ बनाने के लिए अधोसंरचना विकास करने के पूर्व उद्योग आयुक्त की अनुमति प्राप्त की जाएगी। इस हेतु निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट-7**) में आवेदन सहपत्रों सहित उद्योग संचालनालय, म. प्र. में प्रस्तुत किया जायेगा। उद्योग आयुक्त के अनुमोदन उपरांत निम्नलिखित शर्तों के अधीन अधोसंरचना विकास हेतु अनुमति जारी की जाएगी:-

12.5.1 अधोसंरचना के विकास हेतु समयावधि निर्धारित की जाएगी, जो अधिकतम एक वर्ष की होगी।

12.5.2 निर्धारित अवधि में अधोसंरचना का विकास न होने की दशा में उद्योग आयुक्त, म.प्र. द्वारा संबंधित ऐजेन्सी को 60 दिवसीय सूचना पत्र जारी किया जाएगा। समाधानकारक उत्तर प्राप्त होने पर अधोसंरचना के विकास हेतु छः माह का अतिरिक्त समय उद्योग आयुक्त, म.प्र. द्वारा प्रदान किया जाएगा।

12.5.3 अतिरिक्त समय में भी अधोसंरचना विकास न होने की दशा में या 60 दिवसीय सूचना पत्र का समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर अधोसंरचना विकास हेतु जारी अनुमति निरस्त की जाएगी। उक्त निरस्तीकरण के विरूद्ध अपील तीन माह के अंदर प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, एमएसएमई विभाग को प्रस्तुत की जा सकेगी।

12.5.4 प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, एमएसएमई विभाग अपील पर विचार कर गुण दोष के आधार पर अधिकतम छः माह का अतिरिक्त समय प्रदान कर सकेंगे।

12.5.5 अधोसंरचना विकास हेतु अतिरिक्त समय को मिलाकर कुल समय, ऐजेन्सी को अधोसंरचना विकास हेतु जारी अनुमति की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक सीमित होगा।

12.6 अधोसंरचना विकास की प्रतिपूर्ति हेतु, सक्षम स्तर से स्वीकृत अवधि या औद्योगिक अधोसंरचना विकास के पूर्ण होने का दिनांक जो भी पहले हो, तक विकास में व्यय की गई राशि सहायता हेतु गणना में ली जाएगी।

12.7 अधोसंरचना विकास का कार्य पूर्ण होने से आशय उद्योग आयुक्त से अनुमति प्राप्त प्रस्ताव अनुसार अधोसंरचना विकास का कार्य पूर्ण होने से है।

12.8 अधोसंरचना विकास के पूर्ण होने के दिनांक के 90 दिवस के भीतर ऐजेन्सी द्वारा सहायता स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट-8**) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (**परिशिष्ट-13**) निम्नलिखित सहपत्रों के साथ संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जाएगा :-

(i) उद्योग आयुक्त से अनुमति प्राप्त प्रस्ताव।

(ii) विकसित अधोसंरचना को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज।

(iii) अधोसंरचना विकसित करने में हुए व्यय (बिंदु 12.6 में दी गई अवधि में) के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन।

(iv) अधोसंरचना विकसित करने हेतु प्राप्त आवश्यक अनुमतियों/दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां।

(v) विकसित अधोसंरचना हेतु संबंधित औद्योगिक संघ का संतुष्टि प्रमाण पत्र।

13. ऊर्जा लेखा परीक्षा (Audit) के लिए वित्तीय सहायता

13.1 एमएसएमई इकाइयों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा की लागत का 50%, अधिकतम 50 हजार रुपये और ऑडिट में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी को अपनाने के लिए हुये व्यय का 25%, अधिकतम 5 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

13.2 औद्योगिक इकाई द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा नीति की प्रभावशील अवधि में करवाया जाना अनिवार्य होगा और ऑडिट में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी का क्रय ऊर्जा लेखा परीक्षा की रिपोर्ट दिनांक से एक वर्ष के भीतर का होना चाहिये।

13.3 ऑडिट में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी की स्थापना के पश्चात् 20 प्रतिशत ऊर्जा की बचत होना आवश्यक होगा।

13.4 इकाई/समूह द्वारा इस सहायता हेतु ऊर्जा लेखा परीक्षा या ऑडिट में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी की स्थापना के 90 दिवस के भीतर निम्न दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट-9**) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (**परिशिष्ट-13**) में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जाएगा :-

(i) म. प्र. शासन, ऊर्जा विभाग द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा हेतु अधिकृत ऐजेन्सी द्वारा की गई लेखा परीक्षा की अभिप्रमाणित प्रति।

(ii) ऊर्जा लेखा परीक्षा में हुए व्यय को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों की छायाप्रति।

(iii) ऊर्जा लेखा परीक्षा में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी के क्रय के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन (यदि क्रय की गई हो)

(iv) ऊर्जा लेखा परीक्षा के समय और ऊर्जा लेखा परीक्षा में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी की स्थापना के पश्चात् ऊर्जा की बचत को दर्शाने वाले दस्तावेजों की छायाप्रति।

(v) इकाई द्वारा एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन जमा करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति की छायाप्रति

(vi) इकाई द्वारा जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति

(vii) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण

14. पॉवरलूम उन्नयन हेतु सहायता

14.1 नीति की प्रभावशील अवधि में प्लेन/सेमी ऑटोमेटिक शटल पॉवरलूम को आधुनिक शटललेस लूम में उन्नयन करने के लिए किये गये व्यय में से, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता (यदि कोई हो, तो) के समायोजन के पश्चात् शेष राशि का शत-प्रतिशत या उन्नयन लागत का 25%, जो भी कम हो, अधिकतम 10 पावरलूम प्रति इकाई पर राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस योजना का बिंदु क्रमांक 4.17 उक्त सहायता हेतु लागू नहीं होगा।

14.2 इस सहायता हेतु पॉवरलूम इकाई को उन्नयन दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के अंदर निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट-10**) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (**परिशिष्ट-13**) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :-

(i) पॉवरलूम के उन्नयन हेतु किये गये व्यय एवं उन्नयन किये गये पॉवरलूमों की संख्या के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन।

(ii) भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति।(यदि प्राप्त की गई हो, तो)।

(iii) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन (UAM) जमा करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति की छायाप्रति।

(iv) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति (यदि जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन अनिवार्य हो, तो)

(v) भारत सरकार का अन्य कोई पंजीयन (यदि कोई हो, तो)।

(vi) विद्युत देयक की प्रति।

15. फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना हेतु सहायता

15.1 फार्मास्यूटिकल सेक्टर की नई औद्योगिक इकाई को फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना में किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 25 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

15.2 इकाई द्वारा इस सहायता हेतु फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना के 90 दिवस के भीतर निम्न दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट-11**) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (**परिशिष्ट-13**) में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जाएगा :-

(i) फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना में हुए व्यय के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन। (मदवार व्यय सत्यापन सहित)।

(ii) फार्मास्यूटिकल लैब के परिप्रेक्ष्य में वांछित पंजीयन/अनुमति/प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।

(iii) फार्मास्यूटिकल लैब के उपयोग को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों की छायाप्रति।

(iv) इकाई द्वारा एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन जमा करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति की छायाप्रति

(v) इकाई द्वारा जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति

(vi) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण

16. रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली इकाईयों हेतु वेतन अनुदान

16.1 रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स (पहनने योग्य या गैर पहनने योग्य कपड़े, सिले कपड़े, जिनमें से कपड़ों के कम से कम दो सिरों की सिलाई, मशीनरी का उपयोग कर की गयी है) का निर्माण करने वाली नवीन इकाई, जिसमें यंत्र-संयंत्र में न्यूनतम 1.00 करोड़ रूपये का निवेश और न्यूनतम 25 नियमित कर्मचारी हो, के प्रत्येक नियमित कर्मचारी, जो मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी है, के वेतन का 25%, अधिकतम 2500 रूपये प्रतिमाह, कुल 5 लाख रूपये की वार्षिक सीमा तक, 5 वर्ष तक 'वेतन अनुदान' के रूप में प्रदान किया जाएगा। वेतन अनुदान छः माही आधार पर प्रदान किया जाएगा। अतः जिस छः माही हेतु वेतन अनुदान चाहिए, उसके समाप्त होने के 90 दिवस के भीतर वेतन संबंधी प्रामाणिक जानकारी महाप्रबंधक को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

16.2 प्रथम बार वेतन अनुदान हेतु इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट-12**) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (**परिशिष्ट-13**) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :-

(i) इकाई की उत्पादन दिनांक से प्रथम छः माह में नियोक्ता द्वारा इकाई में कार्यरत नियमित कर्मचारी, जो म. प्र. के स्थाई निवासी है, को दिये गये वेतन की राशि एवं ऐसे कर्मचारियों की संख्या की पुष्टि हेतु दस्तावेज की अभिप्रमाणित प्रति।

(ii) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन जमा करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति की छायाप्रति।

(iii) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति।

(iv) संयंत्र एवं मशीनरी और भवन में किये गये पात्र निवेश के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन।

(v) इकाई में कार्यरत नियमित कर्मचारियों की संख्या की पुष्टि हेतु दस्तावेज की अभिप्रमाणित प्रति।

(vi) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण

(vii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उचित अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों) की छायाप्रतियां

16.3 किसी इकाई को जिला स्तरीय सहायता समिति से प्रथम बार वेतन अनुदान स्वीकृत होने के बाद महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इसे संपूर्ण

पात्रता अवधि में वितरित करने के लिए सक्षम होगें अर्थात किसी इकाई को प्रथम बार समिति द्वारा वेतन अनुदान स्वीकृत होने पर उसके अनुदान प्रकरण में शेष छः माहियों हेतु किसी छः माही में इकाई में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत म.प्र. के स्थायी निवासियों को प्रदत्त वेतन संबंधी प्रामाणिक जानकारी और इकाई में कार्यरत नियमित कर्मचारियों की संख्या संबंधी जानकारी, इकाई द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर उस छः माही हेतु वेतन अनुदान का वितरण महाप्रबंधक द्वारा किया जाएगा।

17. प्राप्त आवेदनों में जिला स्तरीय सहायता समिति के अनुमोदन उपरांत सदस्य सचिव (महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र) द्वारा सहायता स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा और उपलब्ध आवंटन अनुसार महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा इकाई को पात्रतानुसार देय सहायता राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

18. एमएसएमई स्तर की बीमार औद्योगिक इकाईयों के पुनर्जीवन हेतु प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, एमएसएमई विभाग की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति (Empowered Committee) द्वारा स्वीकृत पैकेज अनुसार सहायता की स्वीकृति एवं वितरण इस योजना की प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा। बीमार इकाई द्वारा पुनर्वास पैकेज हेतु साधिकार समिति के समक्ष निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट-15**) में आवेदन किया जायेगा।

एमएसएमई विकास नीति 2019 की प्रभावशील अवधि में पुनर्जीवित बीमार इकाई साधिकार समिति द्वारा अनुमोदित पैकेज अनुसार योजना में प्रावधानित सहायताएं/सुविधाएं पात्रतानुसार प्राप्त कर सकती है।

19. प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया –

19.1 इकाई/ऐजेन्सी/संस्था/निवेशक को वित्तीय सहायता हेतु निर्धारित आवेदन पत्र समय सीमा में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा।

19.2 समिति से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 अंतर्गत देय वित्तीय सहायता का प्रदाय महाप्रबंधक द्वारा किया जायेगा। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान इकाई को ई-पेमेंट के माध्यम से इकाई के बैंक खाते में किया जायेगा।

19.3 इकाई के प्रकरण में ई-पेमेंट की पावती ही एमएसएमई प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र होगा।

19.4 जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति उपरांत बजट में प्रावधान के अभाव में अथवा किसी भी अन्य कारण से ई-पेमेंट वितरण में विलम्ब होने पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

20. अपील

जिला स्तरीय सहायता समिति के निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त के समक्ष निर्णय प्राप्ति दिनांक से 90 दिवस के भीतर की जा सकेगी। विलंब से प्राप्त अपील के विलंब दोष को उद्योग आयुक्त गुण-दोष के आधार पर शिथिल कर सकेंगे। उद्योग आयुक्त के निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के समक्ष निर्णय प्राप्ति दिनांक से 30 दिवस के भीतर की जा सकेगी। विलंब से प्राप्त अपील के विलंब दोष को प्रमुख सचिव गुण-दोष के आधार पर शिथिल कर सकेंगे। प्रमुख सचिव का निर्णय अंतिम होगा एवं उसके विरूद्ध राज्य शासन में किसी भी स्तर पर अपील नहीं की जा सकेगी।

21. योजना के क्रियान्वयन को सुगम बनाने की दृष्टि से अथवा विसंगति दूर करने एवं योजना के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए निर्देश एवं मार्गदर्शन उद्योग आयुक्त द्वारा दिया जा सकेगा, जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। इस योजना एवं म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019 की भाषा में विरोधाभास होने पर मध्यप्रदेश

शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मार्गदर्शन दिया जा सकेगा, जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

22. संशोधन/शिथिलीकरण/निरसन

योजनांतर्गत प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग किसी भी समय -

22.1 इस योजना को संशोधित अथवा निरस्त कर सकेगा,

22.2 इस योजना के प्रावधानों को शिथिल कर सकेगा,

23. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र मध्यप्रदेश होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

उप सचिव
म.प्र. शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

परिशिष्ट-1

अपात्र उद्योगों की सूची

1. व्यापार और सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ
2. बीयर और शराब, जिसमें एल्कोहल है
3. सभी प्रकार के पान मसाला और गुटखा विनिर्माण
4. तम्बाकू और तम्बाकू आधारित उत्पादों का विनिर्माण
5. समस्त प्रकार के पॉलिथीन बैग और 40 माइक्रोन या उससे कम मोटाई के प्लास्टिक बैग का विनिर्माण
6. केंद्र या राज्य सरकार या उनके उपक्रम द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयाँ
7. स्टोन क्रशर
8. खनिजों की पिसाई, केल्सिनेशन (गिट्टी से बनाई जाने वाली कृत्रिम रेत के निर्माण को छोड़कर)
9. राज्य सरकार/राज्य सरकार के उपक्रम का अशोधी/चूककर्ता
10. सभी प्रकार की खनन गतिविधियाँ (जहां कोई मूल्य संवर्धन नहीं हुआ हो)
11. लकड़ी के कोयले (चारकोल) का निर्माण
12. सभी प्रकार के सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट (ऐसी खाद्य तेल एक्पैलर इकाईयॉं, जहॉं संयंत्र और मशीनरी में निवेश रू. 1 करोड़ से अधिक नहीं है, को छोड़कर)

13. समस्त प्रकार के तेलों की रिफायनरी

14. सीमेंट/क्लिंकर विनिर्माण इकाईयाँ

15. सभी प्रकार के प्रकाशन और मुद्रण प्रक्रिया

16. आरा मिल और लकड़ी की प्लेनिंग

17. लोहे/स्टील स्क्रेप को दबाकर इसे ब्लॉकों एवं किसी अन्य किसी आकार में बदलना

18. विद्युत उत्पादक इकाईयाँ

19. पैकेज पीने का पानी

20. सॉर्टेक्स प्लांट और फसलों/अनाज की सॉर्टिंग/ग्रेडिंग/सफाई

21. समस्त प्रकार के गैसयुक्त (Aerated)/ कार्बोनेटेड पेय

22. बूचड़खाना और मांस पर आधारित उद्योग

23. म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019 के संदर्भ में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा घोषित कोई उद्योग

परिशिष्ट-2

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत उद्योग विकास अनुदान और इकाई परिसर तक अधोसंरचना विकास के लिये सहायता हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,

........................., म.प्र.।

विषयः- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत उद्योग विकास अनुदान और इकाई परिसर तक अधोसंरचना विकास की स्थापना के लिये सहायता उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/हमारे द्वारा जिला ....(मध्यप्रदेश) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत उद्योग विकास अनुदान और इकाई परिसर तक अधोसंरचना विकास के लिये सहायता उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-

01. इकाई का नाम :

02. इकाई का कार्यस्थल :
स्थान/नगर
विकासखण्ड
तहसील
जिला

03. अ/ इकाई का प्रकार : प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/कंपनी (पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें)

ब/ यदि इकाई प्रोप्रायटरी (पूर्ण स्वामित्व) है तो, इकाई स्वामी का नाम :

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें) :

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें)

06. इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन) :

07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक व दिनांक :

08. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

09. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र व मशीनरी और भवन में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में) :

क्र.	**मद**	**निवेश (रूपये में)**
(i)	संयंत्र व मशीनरी	
(ii)	भवन	

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

क्र.	**उत्पाद का नाम**	**वार्षिक क्षमता**

11. इकाई में प्राप्त रोजगार (पुष्टि हेतु प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें) : कुल रोजगार -

कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई निवासी को प्रदत्त रोजगार -

(i) कुल -

(ii) अजा -

(iii) अजजा -

(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग -

12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा विगत माह में किया गया विक्रय (छायाप्रति संलग्न करें) :

13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों, तो) :

14. विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकीउन्नयन होने पर :

विवरण	**विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन के पूर्व**	**विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन अंतर्गत**	**योग (विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन पश्चात्)**
संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश (लाख रूपये में)			
रोजगार			
उत्पाद की वार्षिक क्षमता			

(i) ....(उत्पाद)....... (ii) ......(उत्पाद)....... (iii) ......(उत्पाद)...... (iv) ......(उत्पाद)......			

15. चाही गई सहायता का विवरण

(अ) उद्योग विकास अनुदान (नियम-6)

(i) प्रथम विक्रय के देयक का दिनांक (छायाप्रति संलग्न) :

(ii) संयंत्र एवं मशीनरी और भवन पर किये गये व्यय की चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित मदवार व्यय राशि (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :

(राशि लाख रूपये में)

क्र.	विवरण	राशि
1		
2		
3		
	योग	

(iii) वित्तीय संस्था का ऋण स्वीकृति एवं वितरण संबंधी पत्र।(यदि लागू हों) :

(iii) अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान हेतु इकाई स्वामी का वर्ग (स्वामित्व को दर्शानें वाले दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न संलग्न करें) : महिला/अजा/अजजा या अजा/अजजा श्रेणी की महिला

(ब) अधोसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता (नियम-9)

(i) विकसित की गई अ़धोसंरचना का संक्षिप्त विवरण :

(ii)	उद्योग परिसर तक अधोसंरचना विकसित करने हेतु, उद्योग आयुक्त द्वारा प्रदत्त अनुमति/डीम्ड अनुमति संबंधी सूचना पत्र दिनांक से इकाई की वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक तक, किये गये व्यय की चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित राशि (प्रमाण पत्र संलग्न)	:	(राशि लाख रूपये में) सड़क निर्माण हेतु .... विद्युतीकरण हेतु .... जल अधोसंरचना हेतु.............

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत उक्त सहायता(ओं) को स्वीकृत करने का कष्ट करें। स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम, IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम...

पद..

(सील)

<u>**नोट**</u>- **जिस सहायता के लिये आवेदन नहीं किया जाना हो, उसमें 'लागू नहीं' अंकित किया जावे।**

<u>परिशिष्ट-3</u>

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाणीकरण और पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,

.........................., म.प्र.।

विषयः- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाणीकरण और/या पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/हमारे द्वारा जिला ....(मध्यप्रदेश) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाणीकरण और/या पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-

01. इकाई का नाम :

02. इकाई का कार्यस्थल :
स्थान/नगर
विकासखण्ड
तहसील
जिला

03. इकाई का प्रकार : प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/कंपनी (पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें)

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें) :

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें) :

06. इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन) :

07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक व दिनांक :

08. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

09. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र व मशीनरी में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में) (चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र संलग्न करें) :

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

क्र.	**उत्पाद का नाम**	**वार्षिक क्षमता**

11. इकाई में प्राप्त रोजगार (पुष्टि हेतु प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें) : कुल रोजगार -

कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई निवासी को प्रदत्त रोजगार -

(i) कुल -

(ii) अजा -

(iii) अजजा -

(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग -

12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा विगत माह में किया गया विक्रय (छायाप्रति संलग्न करें) :

13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों, तो) :

14. चाही गई सहायता का विवरण

(अ) गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिये प्रतिपूर्ति (नियम-7)

[क] (i) आईएसओ/बीआयएस/बीईई प्रमाणीकरण की अभिप्रमाणित प्रति (छायाप्रति संलग्न करें) :

(ii) उक्त प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय (दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) :

[ख]	(i)	जेड (ZED) प्रमाणन की अभिप्रमाणित प्रति (छायाप्रति संलग्न करें)	:	
	(ii)	उक्त प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता (दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	:	1. कुल व्यय 2. भारत सरकार से प्राप्त सहायता
[ग]	(i)	निर्यात के लिए गुणवत्ता प्रमाणन (यूएसए/यूरोपियन यूनियन/OECD के अन्य सदस्य देशों में निर्यात करने हेतु) की अभिप्रमाणित प्रति (छायाप्रति संलग्न करें)	:	
	(ii)	उक्त प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय (दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	:	
	(iii)	इकाई द्वारा यूएसए/यूरोपियन यूनियन/OECD के अन्य सदस्य देशों में निर्यात प्रारंभ करने संबंधी जानकारी (संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें)		

[घ] (i) निर्यात के लिए डब्ल्यूएचओ जीएमपी या यू.एस.-एफ.डी.ए. प्रमाणन की अभिप्रमाणित प्रति (छायाप्रति संलग्न करें) (फार्मास्यूटिकल इकाई हेतु लागू) :

(ii) उक्त प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिये सुविधाओं का सृजन करने में किया गया व्यय (दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) :

(ब) पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति (नियम-8)

(i) पेटेंट/आईपीआरका संक्षिप्त विवरण :

(ii) पेटेंट/आईपीआर प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय (व्यय को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज की प्रमाणित प्रति संलग्न करे) : निर्धारित शुल्क ....
अनुसंधान एवं शोध पर व्यय ....
सलाह/सेवा पर व्यय ....

(iii) इकाई के मुख्यालय का पता :

15. बिंदु 14 में उल्लेखित सहायता अन्तर्गत पूर्व में कुल स्वीकृत राशि एवं उसका विवरण :

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत उक्त सहायता(ओं) को स्वीकृत करने का कष्ट करें। स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम, IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम...

पद...

(सील)

नोट- **जिस सहायता के लिये आवेदन नहीं किया जाना हो, उसमें 'लागू नहीं' अंकित किया जावे।**

परिशिष्ट-4

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना हेतु सहायता के लिये आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,

........................., म.प्र.।

विषयः- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना हेतु सहायता उपलब्ध कराने बाबत।

मेरे/हमारे द्वारा जिला ....(मध्यप्रदेश) में विनिर्माण इकाई(यां) स्थापित की गई है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत अपशिष्ट उपचार संयंत्र/सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के लिये सहायता (नियम 10) उपलब्ध कराने हेतु इकाई(यों) का/के विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-

01. इकाई(यों) का/के नाम :

02. इकाई(यों) का कार्यस्थल :
स्थान/नगर
विकासखण्ड
तहसील
जिला

03. अ/ इकाई का प्रकार : प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/कंपनी (पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें)

ब/ यदि इकाई प्रोप्रायटरी (पूर्ण स्वामित्व) है तो, इकाई स्वामी का नाम :

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति(यां) संलग्न करें) :

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति(यां) संलग्न करें) :

06. इकाई(यों) का/के प्रकार (नवीन/विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन) :

07. इकाई(यों) का/के विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक व दिनांक :

08. इकाई(यों) का/के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

09. इकाई(यों) का/के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र व मशीनरी में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में) (चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र संलग्न करें) :

10. इकाई(यों) के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

क्र.	**उत्पाद का नाम**	**वार्षिक क्षमता**

11. इकाई(यों) में प्राप्त रोजगार (पुष्टि हेतु प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें) : कुल रोजगार -

कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई निवासी को प्रदत्त रोजगार -

(i) कुल -

(ii) अजा -

(iii) अजजा -

(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग -

12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा विगत माह में किया गया विक्रय (छायाप्रति संलग्न करें) :

13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों, तो) :

14. चाही गई सहायता का विवरण

(i) अपशिष्ट उपचार संयंत्र/सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना में किये गये व्यय की चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित मदवार राशि (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :

(राशि लाख रूपये में)

क्र.	विवरण	राशि
1		
2		
3		
	योग	

(ii) स्थापित किये गये अपशिष्ट उपचार संयंत्र/सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र का संक्षिप्त विवरण, उपयोगिता सहित (प्रदूषण नियंत्रण मण्डल/ औद्योगिक स्वास्थ्य एवं :

सुरक्षा संचालनालय का प्रमाण पत्र संलग्न करें)

(iii) सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के प्रकरण में समूह गठन संबंधी दस्तावेज/एग्रीमेंट का विवरण (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें) :

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें। स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई/समूह के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम, IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम...

पद...

(सील)

<u>नोट</u>- **जिस सहायता के लिये आवेदन नहीं किया जाना हो, उसमें 'लागू नहीं' अंकित किया जावे।**

परिशिष्ट-5

निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश।

विषयः- निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास करने की अनुमति प्रदान करने बाबत्।

मेरे/हमारे द्वारा जिला .... (मध्यप्रदेश) में निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास किया जाना प्रस्तावित है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" (नियम 11) अंतर्गत उक्त क्षेत्र की स्थापना/विकास करने की अनुमति बाबत् विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

01. ऐजेन्सी/संस्था/निवेशक का नाम :

02. सम्पर्क का पता :

दूरभाष
फैक्स
ई-मेल

03. पंजीकृत कार्यालय का पता :

दूरभाष
फैक्स
ई-मेल

04. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का स्थल :
स्थान/नगर
विकासखण्ड
तहसील
जिला

05. औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल (एकड़ में)/ :
बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का कारपेट
क्षेत्र (वर्ग फीट में)
(क्षेत्रफल/कारपेट क्षेत्र को प्रमाणित
करने वाले दस्तावेज की प्रति)

06. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर :
के स्वामी/लीजधारक का नाम
(दस्तावेज संलग्न करें)

07. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर में :
प्रस्तावित उद्योगों के नाम (न्यूनतम पांच)

08. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर :
की स्थापना/विकास में किये जाने वाले
प्रस्तावित निवेश का संक्षिप्त विवरण
(नक्शा व प्लान ले-आउट संलग्न करें)

09. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर :
की स्थापना/विकास के पूर्ण होने की
प्रस्तावित दिनांक
(चरणबद्ध समयसीमा संलग्न करें)

कृपया औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना/विकास करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना/विकास हेतु राज्य शासन के अन्य विभागों से अनुमतियां (आवश्यक होने पर) मेरे/हमारे द्वारा प्राप्त की जाएगी।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम...

पद...

(सील)

परिशिष्ट-6

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत निजी औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना हेतु सहायता बाबत् आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
.........................., म.प्र.।

विषय:- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना हेतु सहायता उपलब्ध कराने बाबत्।

मेरे/हमारे द्वारा जिला ....(मध्यप्रदेश) में निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना की गई है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत की स्थापना हेतु सहायता (नियम 11) उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

01. ऐजेन्सी/संस्था/निवेशक का नाम (निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के स्वामित्व का प्रमाण संलग्न करे) :

02. सम्पर्क का पता :
दूरभाष
ई-मेल

03. पंजीकृत कार्यालय का पता :

दूरभाष

ई-मेल

04. निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का स्थल का पूर्ण पता :

05. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के स्वामी/लीजधारक का नाम (दस्तावेज संलग्न करें) :

06. निजी औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल (एकड़ में)/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का कारपेट क्षेत्र (वर्ग फीट में) (क्षेत्रफल/कारपेट क्षेत्र को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज सहित) :

07. निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर में स्थापित उद्योगों के नाम - न्यूनतम पांच (स्थापना को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज संलग्न) :

08. उद्योग आयुक्त, म. प्र. द्वारा निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर को स्थापित/विकसित करने हेतु प्रदाय अनुमति की दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें) :

09. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर को स्थापित/विकसित करने हेतु बढ़ाई गई समय :

सीमा का विवरण, यदि कोई हो तो (आदेश की प्रति संलग्न करें)

10. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास के पूर्ण होने की दिनांक :

11. चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा अधोसंरचना विकास में किया गया प्रमाणित व्यय (व्यय संबंधी प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शा व प्लान ले-आउट संलग्न करें) :

12. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर विकसित करने हेतु प्राप्त आवश्यक अनुमतियां (छायाप्रति संलग्न करें) :

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें। स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये ऐजेन्सी के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम, IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम...

पद...

(सील)

निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर को सुदृढ़ बनाने के लिए औद्योगिक अधोसंरचना के विकास करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश।

विषय:- निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर को सुदृढ़ बनाने के लिए औद्योगिक अधोसंरचना के विकास करने की अनुमति प्रदान करने बाबत्।

मेरे/हमारे द्वारा जिला .... (मध्यप्रदेश) में स्थापित एमएसएमई क्लस्टर में औद्योगिक अधोसंरचना का विकास किया जाना प्रस्तावित है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" (नियम 12) अंतर्गत उक्त क्षेत्र में विकास कार्य करने की अनुमति बाबत् विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

01. ऐजेन्सी/संस्था/निवेशक का नाम :

02. सम्पर्क का पता :

दूरभाष
फैक्स
ई-मेल

03. पंजीकृत कार्यालय का पता :

दूरभाष
फैक्स
ई-मेल

04. एमएसएमई क्लस्टर का पूर्ण पताः
(विकासखण्ड, तहसील व जिला
सहित)

05. एमएसएमई क्लस्टर में अलग-अलग :
स्वामित्व की भूमि पर स्थापित इकाईयां
(कम से कम 10 की सूची संलग्न करें)

06. एमएसएमई क्लस्टर के औद्योगिक संघ :
का नाम (दस्तावेज संलग्न करें)

07. विकसित की जाने वाली अधोसंरचना का :
विवरण एवं उसकी उपयोगिता (न्यूनतम
पांच इकाईयों की अनुशंसा के साथ
जानकारी संलग्न करें)

08. अधोसंरचना विकास हेतु एजेन्सी के चयन संबंधी :
औद्योगिक संघ का निर्णय (छायाप्रति संलग्न करें)

09. अधोसंरचना विकास कार्य के पूर्ण होने की :
प्रस्तावित दिनांक
(चरणबद्ध समयसीमा संलग्न करें)

कृपया एमएसएमई क्लस्टर .... में उपरोक्तानुसार औद्योगिक अधोसंरचना के विकास करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। अधोसंरचना के विकास हेतु राज्य शासन के अन्य विभागों से अनुमतियां (आवश्यक होने पर) मेरे/हमारे द्वारा प्राप्त की जाएगी।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम...

पद...

(सील)

<u>परिशिष्ट-8</u>

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर में औद्योगिक अधोसंरचना के विकास हेतु सहायता बाबत् आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
........................., म.प्र.।

विषयः- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर को सुदृढ़ बनाने के लिए औद्योगिक अधोसंरचना के विकास हेतु सहायता उपलब्ध कराने बाबत्।

मेरे/हमारे द्वारा जिला ....(मध्यप्रदेश) में स्थित निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर को सुदृढ़ बनाने के लिए औद्योगिक अधोसंरचना का विकास किया गया है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर को सुदृढ़ बनाने के लिए औद्योगिक अधोसंरचना के विकास हेतु सहायता (नियम 12) उपलब्ध कराने बाबत विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

01. ऐजेन्सी का नाम :
(एजेन्सी के चयन संबंधी औद्योगिक संघ के निर्णय की छायाप्रति संलग्न करें)

02. सम्पर्क का पता :
दूरभाष
ई-मेल

03. पंजीकृत कार्यालय का पता :

दूरभाष

ई-मेल

04. सार्वजनिक औद्योगिक क्षेत्र का पूर्ण पता (विकासखण्ड, तहसील व जिला सहित) :

05. एमएसएमई क्लस्टर के औद्योगिक संघ का नाम (दस्तावेज संलग्न करें) :

06. विकसित की गई अधोसंरचना का विवरण एवं उसकी उपयोगिता (विवरण संलग्न करें) :

07. उद्योग आयुक्त, म. प्र. द्वारा अधोसंरचना विकसित करने हेतु प्रदाय अनुमति की दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें) :

08. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधोसंरचना विकसित करने हेतु बढ़ाई गई समय सीमा का विवरण, यदि कोई हो तो (आदेश की प्रति संलग्न करें) :

09. औद्योगिक अधोसंरचना विकास कार्य के पूर्ण होने की दिनांक (विकसित अधोसंरचना को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज संलग्न करें) :

10. चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा अधोसंरचना विकास में किया गया प्रमाणित व्यय (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :

11. विकसित अधोसंरचना हेतु संबंधित एमएसएमई क्लस्टर के औद्योगिक संघ का संतुष्टि संबंधी प्रमाण (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :

12. औद्योगिक अधोसंरचना विकसित करने हेतु प्राप्त आवश्यक अनुमतियां (छायाप्रति संलग्न करें) :

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें। स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये ऐजेन्सी के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम, IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम...

पद...

(सील)

परिशिष्ट-9

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत ऊर्जा लेखा परीक्षा (Audit) के लिए प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,

.........................., म.प्र.।

विषयः- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत ऊर्जा लेखा परीक्षा (Audit) के लिए प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/हमारे द्वारा जिला ....(मध्यप्रदेश) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत ऊर्जा लेखा परीक्षा (Audit) के लिए प्रतिपूर्ति (नियम 13) उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-

01. इकाई का नाम :

02. इकाई का कार्यस्थल :
स्थान/नगर
विकासखण्ड
तहसील
जिला

03. इकाई का प्रकार : प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/कंपनी (पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें)

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें) :

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें) :

06. इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन) :

07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक व दिनांक :

08. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

09. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र व मशीनरी में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में) :

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

क्र.	**उत्पाद का नाम**	**वार्षिक क्षमता**

11. इकाई में प्राप्त रोजगार (पुष्टि हेतु प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें) : कुल रोजगार -

कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई निवासी को प्रदत्त रोजगार -

(i) कुल -
(ii) अजा -
(iii) अजजा -
(iv) अन्य पिछ़डा वर्ग -

12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा विगत माह में किया गया विक्रय (छायाप्रति संलग्न करें) :

13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों, तो) :

14. ऊर्जा लेखा परीक्षा हेतु अधिकृत ऐजेन्सी द्वारा की गई लेखा परीक्षा की दिनांक (लेखा परीक्षा की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें) :

15. ऊर्जा लेखा परीक्षा में हुआ व्यय (व्यय को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करे) :

16. ऊर्जा लेखा परीक्षा में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी के क्रय में हुआ व्यय (चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन की छायाप्रति संलग्न करे) :

17. उक्त बिंदु 16 में उल्लेखित उपकरण एवं :

मशीनरी के क्रय से ऊर्जा में हुई बचत का
विवरण (दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें)

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें। स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम, IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम...

पद...

(सील)

<u>**नोट**</u>- **जिस सहायता के लिये आवेदन नहीं किया जाना हो, उसमें 'लागू नहीं' अंकित किया जावे।**

परिशिष्ट-10

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत पॉवरलूम के उन्नयन हेतु सहायता के लिये आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,

........................., म.प्र.।

विषयः- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत पॉवरलूम उन्नयन के लिये सहायता उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/हमारे द्वारा जिला ....(मध्यप्रदेश) में पॉवरलूम इकाई स्थापित की गई है और "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत उक्त उन्नयन हेतु सहायता (नियम 14) उपलब्ध कराने बाबत् पॉवरलूम इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

01.	इकाई का नाम	:
02.	इकाई का कार्यस्थल स्थान/नगर विकासखण्ड तहसील जिला	:
03.	इकाई का प्रकार	: प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/कंपनी (पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें)

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें) :

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति (यदि जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन अनिवार्य हो, तो) :

06. भारत सरकार का अन्य कोई पंजीयन (यदि हो तो) का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें) :

07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक व दिनांक (नवीनतम विद्युत देयक की छायाप्रति संलग्न करें) :

08. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

09. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में) (चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र संलग्न करें) :

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

क्र.	उत्पाद का नाम	वार्षिक क्षमता

11. इकाई में प्राप्त कुल रोजगार (पुष्टि हेतु प्रामाणिक दस्तावेज : कुल रोजगार -

	संलग्न करें)		कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई निवासी को प्रदत्त रोजगार - (i) कुल - (ii) अजा - (iii) अजजा - (iv) अन्य पिछड़ा वर्ग -
12.	उन्नयन पूर्व पॉवरलूम का प्रकार एवं संख्या	:	प्लेन या सेमी ऑटोमेटिक - कुल संख्या -
13.	प्लेन/सेमी ऑटोमेटिक पॉवरलूम से आधुनिक शटललेस लूम में उन्नयन किये गये पॉवरलूम की संख्या एवं उनमें हुआ व्यय (चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन संलग्न करें)	:	
14.	भारत सरकार की INSITU अपग्रेडेशन योजना के तहत परिवर्तित पॉवरलूमों की संख्या, उन्नयन का प्रकार एवं प्राप्त सहायता (यदि कोई हो, तो)	:	

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें। स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम, IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम...

पद..

(सील)

परिशिष्ट-11

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत फार्मास्यूटिकल इकाई द्वारा फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना हेतु सहायता के लिये आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,

........................., म.प्र.।

विषय:- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना हेतु सहायता उपलब्ध कराने बाबत।

मेरे/हमारे द्वारा जिला ....(मध्यप्रदेश) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना के लिये सहायता (नियम 10) उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

01. इकाई का नाम :

02. इकाई(यों) का कार्यस्थल :
स्थान/नगर
विकासखण्ड
तहसील
जिला

03. अ/ इकाई का प्रकार : प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/कंपनी (पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें)

ब/ यदि इकाई प्रोप्रायटरी (पूर्ण स्वामित्व) है तो, इकाई स्वामी का नाम :

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें) :

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें) :

06. इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन) :

07. इकाई का विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक व दिनांक :

08. इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

09. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र व मशीनरी में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में) (चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र संलग्न करें) :

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

क्र.	उत्पाद का नाम	वार्षिक क्षमता

11. इकाई में प्राप्त रोजगार (पुष्टि हेतु प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें) :

कुल रोजगार -

कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई निवासी को प्रदत्त रोजगार -

(i) कुल -

(ii) अजा -

(iii) अजजा -

(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग -

12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा विगत माह में किया गया विक्रय (छायाप्रति संलग्न करें) :

13. फार्मास्यूटिकल इकाई की स्थापना हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों, तो) :

14. फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना में हुये व्यय की चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित मदवार राशि (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :

(राशि लाख रूपये में)

क्र.	विवरण	राशि
1		
2		
3		
	योग	

15. फार्मास्यूटिकल लैब के परिप्रेक्ष्य में वांछित पंजीयन/अनुमति/प्रमाण-पत्र की जानकारी (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करे) :

16. फार्मास्यूटिकल लैब की उपयोगिता संबंधी विवरण (दस्तावेज संलग्न करें) :

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें। स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई/समूह के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम, IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम...

पद...

(सील)

परिशिष्ट-12

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली इकाईयों को वेतन अनुदान हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
.........................., म.प्र.।

विषय:- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली इकाईयों को वेतन अनुदान उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/हमारे द्वारा जिला ....(मध्यप्रदेश) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली इकाईयों को वेतन अनुदान (नियम 16) उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

01. इकाई का नाम :

02. इकाई का कार्यस्थल :
स्थान/नगर
विकासखण्ड
तहसील
जिला

03.	इकाई का प्रकार	:	प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/कंपनी (पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें)
04.	एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें)	:	
05.	जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें)	:	
06.	इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन)	:	
07.	इकाई के विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक व दिनांक	:	
08.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक	:	
09.	इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र व मशीनरी में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में) (चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र संलग्न करें)	:	
10.	इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता	:	

क्र.	**उत्पाद का नाम**	**वार्षिक क्षमता**

11. इकाई में प्राप्त रोजगार (पुष्टि हेतु प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें) : कुल रोजगार -

कुल नियमित कर्मचारी -

कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई निवासी को प्रदत्त रोजगार -

(i) कुल -

(ii) अजा -

(iii) अजजा -

(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग -

12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा विगत माह में किया गया विक्रय (छायाप्रति संलग्न करें) :

13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों, तो) :

14. विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन होने पर :

विवरण	**विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन के पूर्व**	**विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन अंतर्गत**	**योग (विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन पश्चात्)**
संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश (लाख रूपये में)			
रोजगार			
उत्पाद की वार्षिक क्षमता (i) ....(उत्पाद)....... (ii) ......(उत्पाद).......			

15. इकाई में कार्यरत नियमित कर्मचारी, जो म. प्र. के स्थाई निवासी है, को दिये गये वेतन की राशि एवं ऐसे कर्मचारियों की संख्या (इकाई की उत्पादन दिनांक से प्रथम छः माह की नियमित कर्मचारियों को प्रदत्त वेतन की माहवार व नामवार सूची संलग्न करें एवं प्रदत्त वेतन एवं नियमित कर्मचारी संबंधी प्रामाणिक दस्तावेज भी संलग्न करे) :

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें। स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई/समूह के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम, IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम..

पद...

(सील)

परिशिष्ट-13

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत दिए जाने वाला शपथ पत्र

(निर्धारित शुल्क के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

मैं/हम एतद् द्वारा यह शपथपूर्वक कथन करता हूँ/करते हैं कि :-

1. मेरे/हमारे द्वारा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र .... में "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक .... में दी गई जानकारी सत्य है।

2. मैं/हम राज्य शासन अथवा राज्य शासन के किसी उपक्रम की घोषित चूककर्ता/अशोधी नहीं हूँ/हैं।

3. मैं/हम यह वचन देता/देते हूँ/हैं कि यदि उपरोक्त उल्लेखित योजना में उल्लेखित किसी भी शर्त/प्रावधान का मेरे/हमारे द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो विभाग को नियमानुसार सुविधा को निरस्त करने/वापस लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा मैं/हम 12 प्रतिशत ब्याज दर से सुविधा/सहायता राशि वापस करने के लिये उत्तरदायी रहूँगा/रहेंगे।

4. मैं/हम इकाई/उन्नयन किये गये पॉवरलूमों/औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/अपशिष्ट उपचार संयंत्र/सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र/एमएसएमई क्लस्टर में निर्मित औद्योगिक अधोसंरचना को प्रारंभ/उन्नयन दिनांक से कम से कम 4 वर्षों तक या सुविधा अवधि जो भी बाद में हो, उत्पादनरत/कार्यरत रखूँगा/रखेंगे।

5. मेरी/हमारी इकाई में कुल रोजगार का न्यूनतम 70 प्रतिशत मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को प्रदान किया जा रहा है और उक्त 70% रोजगार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को राज्य शासन द्वारा घोषित आरक्षण अनुसार प्रतिनिधित्व भी दिया जा रहा है।

6. मेरे/हमारे द्वारा इकाई हेतु मध्यप्रदेश की किसी अन्य नीति अंतर्गत अनुदान प्राप्त/ हेतु आवेदन नहीं किया गया है।

7. मेरे/हमारे द्वारा इकाई हेतु भारत सरकार से समान स्वरूप की योजनान्तर्गत प्राप्त सहायता/किये गये आवेदन (यदि कोई हों तो) की जानकारी आवेदन के साथ पृथक से संलग्न की गई है।

8. औद्योगिक परिसर तक विकसित की गई अधोसंरचना आवेदन में उल्लेखित इकाई हेतु विकसित की गई है तथा अच्छी गुणवत्ता की है। (यदि लागू हो तो)

या

स्थापित की गई अपशिष्ट उपचार संयंत्र/सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र आवेदन में उल्लेखित इकाई(यों) हेतु स्थापित किया गया है तथा मानकों के अनुरूप है। (यदि लागू हो तो)

या

एमएसएमई क्लस्टर में निर्मित अधोसंरचना अच्छी गुणवत्ता की है। (यदि लागू हो तो)

स्थान :-

दिनांक :-

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम :- ....

(सील)

परिशिष्ट-14

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत निर्यातक इकाई द्वारा अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान के लिये आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
........................., म.प्र.।

विषय:- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत निर्यातक इकाई के लिये अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान सहायता उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/हमारे द्वारा जिला ....(मध्यप्रदेश) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत निर्यातक इकाई के लिये अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विवरण निम्नानुसार है:-

01.	इकाई का नाम	:
02.	इकाई का कार्यस्थल स्थान/नगर विकासखण्ड तहसील जिला	:
03.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक	:
04.	जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक	
05.	स्वीकृत उद्योग विकास अनुदान की दिनांक व कुल राशि (आदेश की प्रति संलग्न करें)	:
06.	इकाई द्वारा जिस अवधि (वर्ष) हेतु	:

	अतिरिक्त अनुदान चाहा गया है, उस वर्ष में जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा निर्मित माल के विक्रय की कुल राशि (छायाप्रति संलग्न करें)		
07.	इकाई द्वारा जिस अवधि (वर्ष) हेतु अतिरिक्त अनुदान चाहा गया है, उस वर्ष में इकाई द्वारा किये गये कुल निर्यात की राशि (संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें)	:	

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" अंतर्गत अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान को स्वीकृत करने का कष्ट करें।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम...

पद...

(सील)

<u>परिशिष्ट-15</u>

"मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2019" अंतर्गत बीमार इकाई द्वारा राहत एवं अनुदान के लिये आवेदन का प्रारूप

(तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाय)

1. इकाई का नाम ____________________

   इकाई के कार्यस्थल का पता ____________________

   इकाई का पत्राचार का पता ____________________

   ____

   <u>मुख्य अधिकारी</u>

   नाम ____________________

   पता ____________________

   ____

   दूरभाष क्र. (कार्या.)__________(नि.)__________

   ई-मेल ____________________

2. वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक ____________________

3. लघु उद्योग पंजीयन/ ईएम पार्ट-2/ ____________________

   यू.ए.एम. क्रमांक एवं दिनांक ____________________

   और जारीकर्ता प्राधिकारी

   (संबंधित दस्तावेज की सत्यापित

   छायाप्रति संलग्न करे)

4. आवेदन शुल्क '1000.00' (एक हजार रूपये मात्र), की पावती संलग्न करें :

   चालान क्रमांक ______________, दिनांक ______________

5. निर्मित उत्पाद एवं उनकी वाषिर्क क्षमता (कृपया शिफ्ट की संख्या का उल्लेख करें)

उत्पाद का नाम : ______________________________

वार्षिक क्षमता : ______________________________

6. विगत तीन वर्षो में इकाई प्रदर्शन (सी.ए./ऑडिटर द्वारा सत्यापित)

	(वर्ष)	(वर्ष)	(वर्ष)
	(________)	(________)	(________)
(i) उत्पादन : (विगत तीन वर्षो में)			
मात्रा :	________	________	________
मूल्य :	________	________	________
(ii) विक्रय : (विगत तीन वर्षो में)			
मात्रा :	________	________	________
मूल्य :	________	________	________

(iii) सकल लाभ/हानि ______________________________

(iv) निवल (नेट) लाभ/हानि ______________________________

(कटोत्रा एवं कर पश्चात)

(v) संचित हानि ______________________________

7. बैलेंस शीट (चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट/वैधानिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित)

<u>पूंजी के स्रोत</u>

प्रदत्त पूंजी ______________________________

रिजर्व एवं सरप्लस ______________________________

टर्म लोन ______________________________

जमा पूंजी ______________________________

कोई अन्य ऋण/ ______________________
असूरक्षित ऋण
योग ______________________

8. **<u>घटायें</u>**
देनदारियॉ ______________________
प्रावधान ______________________
नेट चालू अस्तियां ______________________
निवेश, यदि कोई हो ______________________
हानि ______________________
योग ______________________

9. **नेट मूल्य (worth)**

	(वर्ष)	(वर्ष)	(वर्ष)
	(________)	(________)	(________)
प्रदत्त पूंजी	__________	__________	__________
रिजर्व एवं सरप्लस (पूनर्मूल्यांकन को छोड़कर)	__________	__________	__________
योग	________	________	________

10. लेनदारों द्वारा क्या कोई विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है? ______________________
यदि हॉ, तो कृपया विवरण देवें ______________________
____

11. निवेश, यदि कोई हो तो, विवरण देवें :

(अ) कंपनियों में ________________________

(ब) सावधि जमा ________________________

(स) अन्य ________________________

12. सांविधिक देनदारी:

(अ) वाणिज्यिक कर/वैट/जीएसटी ________________________

(ब) विद्युत शुल्क ________________________

(स) आबकारी शुल्क (आज तक) ________________________

(द) भविष्य निधि (आज तक) ________________________

(इ) ESI ________________________

(फ) कोई अन्य देनदारियां ________________________
(कृपया स्पष्ट करें)

13. (अ) यदि इकाई उत्पादनरत हो तो, कृपया माहवार उत्पादन एवं विगत एक वर्ष में विद्युत खपत (आखिरी विद्युत देयक की छायाप्रति संलग्न करें) ________________________
____

(ब) पुनर्जीवन के लिये प्रमोटर का अंश ________________________

14. (अ) यदि इकाई बंद है, तो कृपया बंद होने की दिनांक एवं बंद होने का कारण बतायें ________________________
____
____

(ब) क्या विद्युत कनेक्शन विच्छेद हुआ है? ________________________

(स) क्या श्रमिक/मजदूर की छटनी की गई है? ________________________

(द) इकाई कैसे पुनर्जीवित की जाएगी? इकाई को पुन: आरंभ करने के लिये आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कहां से होगी? ________________________

(इ) इकाई को पुनर्जीवित करने के लिये क्या नये प्रमोटर को शामिल करने का प्रस्ताव है?, यदि हां, तो किन शर्तो पर? ________________________

(फ) उत्पाद के विपणन की व्यवस्था ________________________

15. बैंक/वित्तीय संस्था/शासन के विभागों से प्रस्तावित सहायता/राहत :

स. क्र.	बैंक/वित्तीय संस्था/शासकीय विभाग का नाम	प्रस्तावित सहायता/राहत
1.	बैंक/MPFC (वित्तीय संस्था)	____________
2.	वाणिज्यिक कर विभाग	____________
3.	म. प्र. विद्युत वितरण कंपनी	____________
4.	कोई अन्य संस्था/विभाग	____________

16. पुनर्जीवन हेतु प्रस्तावित विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन का विवरण :

(i) विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन में से किसके द्वारा पुनर्जीवन किया जायेंगा ____________________

(ii) आयटम का नाम ____________________

(iii) परियोजना लागत ____________________

(iv) पूंजी के स्रोत ____________________

(v) ऑयटम का पंजीयन, यदि कोई हो ____________________

(vi) विनिर्माण प्रक्रिया ____________________

(vii) कीमत सहित प्रस्तावित मशीनों का विस्तृत लिस्ट ____________________

(viii) उत्पादन में प्रस्तावित बढ़ोतरी एवं लाभप्रदता ____________________

17. पुनर्जीवन पैकेज तैयार करने वाली बैंक की शाखा का नाम व पता ____________________ ____________________
(सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

नोट :-

आवेदन पूर्ववर्ती दो वर्षों के लिए लेखा परीक्षण खातों के साथ होना चाहिए। खातों के साथ लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों को पूरी तरह से निपटाया और अनुपालन किया जाना है। आवेदन एक प्रस्तावित पुनर्वास योजना के साथ होना चाहिए जिसमें, बैंक/वित्तीय संस्थान के ऋण और ब्याज की पूर्ण वापसी के साथ-साथ राज्य सरकार/वाणिज्यिक कर/वैट/जीएसटी के बकाया को चुकाने की भी व्यवस्था की गई हो। इस हेतु पृथक से जानकारी/प्रस्ताव संलग्न करें।

दिनांक :

स्थान :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

(सील)

घोषणा

मै, ______________________________ एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास से सही, पूर्ण एवं मेरे द्वारा दी गई है।

दिनांक :

स्थान :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

(सील)

प्राधिकृत व्यक्ति :

घोषणा करने वाले व्यक्ति का नाम ______________________________

धारित पद ______________________________

इकाई का नाम ______________________________

कार्यालय का पता ______________________________

____

(सी.ए./ऑडिटर/बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा सत्यापित)

नोट : पूर्णतः भरा हुआ आवेदन उद्योग आयुक्त. म. प्र., उद्योग संचालनालय, म. प्र. भोपाल में प्रस्तुत किया जाना चाहिये।